THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) After the Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 came into operation from 16th September, 1985 and at the instance of the Deptt. of Agriculture and Cooperation, the Managing Director, National Federation of Industrial Cooperatives Ltd. (NAFIC) examined the eligibility of Chairman and Vice-Chairman to hold their offices in terms of the provisions of the Act. The Managing Director conveyed to the Chairman and Vice-Chairman his finding that they ceased to hold the office in terms of the provisions of the aforesaid Act. Against this finding, both the Chairman and Vice-Chairman filed writ petitions. The revised writ petition filed by the Chairman in Gujarat High Court is still pending. The matter is thus sub-judice. The Vice-Chairman filed writ petition first in the High Court of Delhi then in the High Court of Haryana and Punjab and again in the High Court of Delhi and the petitions were dismissed as withdrawn/disposed off.

(c) and (d) According to the Federation, the Chairman and the Vice-Chairman owe an amount of Rs. 49,554 and Rs. 33,584 respectively. Cases for recovery filed by the Managing Director, NAFIC are pending before the Central Registrar of Cooperative Societies.

बिहार में विद्युत परियोजनाओं के पूरा किये जाने के कार्य में हुयी प्रगति

1363. **श्री अश्विनी कुमार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कहलगांव, कोयला, कारोनार्थ कर्मपुरा और तेनु घाट ऊर्जा प्रतिष्ठानों के पूरा किए जाने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और वर्तमान परिस्थितियों में इन योजनाओं का क्या महत्व है ; और

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं और इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है तथा इन योजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कहलगांव, कोयलकारो, उत्तरी कर्णपुरा और तेनुघाट विद्युत परियोजनाओं के चालू किए जाने पर बिहार राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा । इन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

प्रश्न में उल्लिखित विद्युत परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा

1. इस समय कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना में 210–210 मेगावाट की चार यूनिटें तथा तेनुघाट ताप विद्युत परियोजना में 210–210 मेगावाट की दो यूनिटें हैं जिनको क्रमशः केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	परियोजना/यूनिट सं०	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का संभावित कार्यक्रम	वर्तमान स्थिति का व्यापक ब्यौरा
1.	कहलगांव सु०ता०वि० परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम)			1. यू.एस.एस.आर. के साथ अंतिम ठेके पर 7/87 में हस्ताक्षर किए गए थे।

1	2	3	4
यूनिट–1	210	7/91	2. 3351 एकड भूमि में से लगभग 1315 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। शेष भूमि का अधिग्रहीत करने का कार्य प्रगति पर है।
यूनिट–2	210	1/92	
यूनिट–3	210	7/92	
यूनिट–4	210	1/93	
			3. स्थल को समतल करने का कार्य प्रगति पर था। पाईलिंग और नींव संबंधी कार्य भी आरम्भ कर दिए गए हैं।
			4. मैसर्स टी०पी०ई०, यू० एस० एस०आर० से संरचनात्मक स्टील पहला नीभार 7/88 में आ जाने की आशा है तथा बायलर संरचनाएं यू० एस०एस०आर० से 10/88 में समुद्री मार्ग से प्राप्त किए जाने की आशा है।
ii. तेनुघाट (राज्य क्षेत्र)			1. इस परियोजना का क्रियान्वयन संबंधी कार्य "भैल" को टर्न-की आधार पर सौंपा गया है।
यूनिट–1	210	3–4/90	
यूनिट–2	210	10/90	2. बायलर की नींव और विद्युतघर भवन के खुदाई संबंधी कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं।

2. बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरी कर्णपुरा सु०ता०वि० केन्द्र (2×500 मेगावाट) स्थापित करने हेतु परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के लिए शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। कोयला लिंकेज सुनिश्चित कर दिया गया है।

3. लगभग 392 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कोयलकारों जल विद्युत् परियोजना (710 मेगावाट) को जून, 1981 में स्वीकृत कर दिया गया था। परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि को अधिग्रहीत किये जाने के बारे में स्थानीय लोगों के संगठित विरोध के कारण राष्ट्रीय जल विद्युत् निगम, परियोजना के मुख्य कार्य को आरम्भ करने में असमर्थ रहा है। कुछ प्रभावित भू-स्वामियों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका भी दायर की है तथा मामला निर्णयाधीन है।